न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—178/18

1. बाबूलाल यादव पुत्र श्री सेठूराम, जाति यादव, निवासी 334, यादव भवन पटेल नगर चित्रकुट, जयपुर, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत झाग, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान जरिये सरपंच
2. तहसीलदार तहसील मौजामाबाद, जिला जयपुर, राजस्थान।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 23.10.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर के आदेश दिनांक 18.05.2018 (प्रकरण संख्या 39/2016) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के वास्तविक तथ्यों व मुददों को समझे बिना परवर्स निर्णय पारित किया है, जो कि प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू ने पत्रावली में संलग्न जवाब, दस्तावेजात व रिपोर्ट इत्यादि पर कतई गौर नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष मुख्यतः तरमीम से सम्बन्धित है तथा तरमीम का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये जाने से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 680 वाके ग्राम झाग, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर से बने हाल खसरा नम्बरों के वर्तमान में मौके पर काबिज समस्त खातेदारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व सम्बन्धित व हितबद्ध खातेदारों को ना तो कोई नोटिस जारी किये गये और ना ही उनको कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष प्रार्थना पत्र में मुख्यतः दादरसी तरमीम से सम्बन्धित है तथा तरमीम बाबत दादरसी के लिये नियमित वाद पेश करना आवश्यक है तथा नियमित वाद में ही सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर तथा मौके पर कब्जे की जांच व साक्ष्य, सबूत के आधार पर ही तरमीम किया जाना आवश्यक है तथा तरमीम का

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

आदेश पारित किये जाने से पूर्व मौके पर कब्जे की जांच किया जाना आवश्यक है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने जवाब में मौके पर कब्जे बाबत जांच के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नही किया है और ना ही मौके पर कब्जे बाबत कोई साक्ष्य, सबूत व अन्य दस्तावेजात ही प्रस्तुत किये है इसलिये मौके पर कब्जे की जांच के अभाव में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2018 स्वतः ही निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ग्राम पंचायत झाग के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि कानूनन नियमित वाद पत्र प्रस्तुत कर जो अनुतोष वाद पत्र के माध्यम से चाहा जाना आवश्यक था उसे समरी प्रक्रिया भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत रेस्पोडेन्ट किसी भी सूरत में पाने का अधिकारी नही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त बिन्दू पर भी कतई गौर नही कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.05.22018 पारित किया है जो काबिले खारिज है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आराजी खसरा नमबर 786 व 2193/759 के मध्य आराजी खसरा नम्बर 763 में से होकर सड़क झाग से बगरू को जा रही है तथा खसरा नम्बर 763 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज व अंकित है एवं उक्त खसरा नम्बर भी साबिक खसरा नम्बर 680 की भूमि में से ही बनाया गया है तथा रेस्पोडेन्ट तहसीलदार मौजमाबाद के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब में उक्त खसरा नम्बर के बाबत कोई उल्लेख नही किया गया है जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में उक्त खसरा नम्बर 763 खसरा नम्बर 786 व 2193/759 के मध्य में स्थित है इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अधूरी व अस्पष्ट रिपोर्ट खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की अन्य भूमि आराजी खसरा नम्बर 785, 783, 781, 766, 780, 784, 782, 2215/766 के लगवा ही अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 786, 2224/786 पर काबिज काश्त है तथा अपनी उपरोक्त आरजीयात के चारों ओर संयुक्त रूप से लगभग 4–5 फीट ऊँची व 2–3 फीट चौड़ी खाम डोल लगा रखी है तथा निरन्तर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है जिसका अंकन अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब एवं प्रस्तुत साक्ष्य सबूत पर कतई गौर नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे भारी भूल की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न आराजी का साबिक खसरा नम्बर 680 का नक्शा ट्रेस संलग्न है तथा उक्त नक्शा ट्रेस में कही भी तरमीम किया हुआ नही है तथा समस्त रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा नक्शे में शामलाती ही दर्शाया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2018 में साबिक नक्शा के अनुसार तरमीम के आदेश पारित किये गये है इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो संलग्न

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रिकार्ड का अवलोकन किया गया है और ना ही स्वविवेक से उक्त निर्णय पारित किया गया है इसलिये भी प्रश्नाधीन निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारिम्भक आपत्तियों पर अपना कोई विस्तार से निर्णय पारित नही कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में अपने में निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है इसलिये अपीलान्ट द्वारा पेश प्रारम्भिक आपत्तियो पर कतई गौर नही कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह कानूनन निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.05.2018 करे खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के आराजी खाता संख्या 653 के आराजी खसरा नम्बर 2193/759 रकबा 2.78 हैक्टर गै.मु. सार्वजनिक प्रयोजनार्थ वाके ग्राम झाग, तहसील मौजामाबाद में स्थित है जिसकी किस्म गैर.मु. सार्वजनिक प्रयोजनार्थ दर्ज है इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 786 रकबा 0.19 हैक्टयर व खसरा नम्बर 2224/786 रकबा 0.19 हैक्टयर अपीलार्थी की खातेदारी की आराजीयात है तथा विवादित आराजीयात की साबित राजस्व रिकार्ड में सही रूप से तरमीम दर्ज थी, जो सही स्थान पर दर्ज थी तथा रेस्पोडेन्ट एवं अपीलान्ट मुताबिक साबिक तरमीम के अनुसार मौके प काबिज काश्त है तथा पक्षकारान में उक्त तरमीम को लेकर कभी किसी प्रकार का विवाद नही रहा लेकिन हाल ही में सैटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के तथा मौके के कब्जे के विपरित तथा पूर्व के साबिक रिकार्ड के विपरित गलत रूप से वर्तमान नक्शा ट्रेस में तरमीम कर दी गई, जो गलत कर दी गई अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के काबिज स्थान पर अपीलान्ट के हाल खसरा नम्बर 786 व 2224/786 की तरमीम कर दी गई और अपीलान्ट के काबिज स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खसरा नम्बर 2193/759 की तरमीम कर दी गई है जो कि गलत हुआ एवं काबिले दुरूस्ती है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि नवीन सैटलमेन्ट के वक्त सैटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा त्रुटि कारित करते हुए मौके पर कब्जे के विपरित जाकर तरमीम कर दी गई जबकि विधि अनुसार सैटलमेन्ट कर्मचारियों को इस प्रकार से तरमीम करने का कोई विधिक अधिकार नही था, सैटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा बिना किसी प्राधिकारी के आदेश के इस प्रकार की तरमीम नही की जा सकती, सैटलमेन्ट विभाग द्वारा किया गया कृत्य पूर्णतया विधि विरूद्ध एवं बिना क्षेत्राधिकार के होने से निरस्त किये जाने योग्य है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम करवाने का अधिकारी है होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से अपीलान्ट को सुनवाई का

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अवसर देते हुए एवं तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करके ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न तहसीलदार मौजमाबाद की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 28.03.18 के अवलोकन से जाहिर होता है कि खसरा नम्बर 786 रकबा 0.38 हैक्टयर की रकबा बरारी करने पर 0.72 हैक्टयर क्षेत्र आता है जो कि 0.34 हैक्टयर भूमि की तरमीम भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किया जाना पाया गया तथा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 786 रकबा की गई तरमीम रकबा 0.38 हैक्टयर के स्थान पर 0.72 हैक्टयर गलत की गई है एवं तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा अपने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 28.03.2018 द्वारा नक्शे ट्रेस की वर्तमान तरमीम हजफ किये जाने बाबत अपनी अनापत्ति भी दी है जिससे यहॉ यह स्पष्ट हो जाता है कि भू प्रबन्ध विभाग बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के उक्त विवादित आराजीयात की तरमीम गलत दर्ज की गई है जिसे दुरूस्त किये जाने के अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्रदत्त है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2018 उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2018 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।